Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में पुलिस पार्टी पर फायर करने की घटना कारित करने के आरोपी गप्पी उर्फ अनुज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 05 वर्ष कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त गप्पी उर्फ अनुज पुत्र योगेश निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत के द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 603/2019 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 27.08.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गप्पी उर्फ अनुज को दोषी पाते हुये 05 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

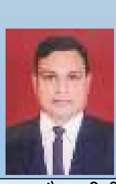

श्री गगन गौड एडीजीसी

उ0नि0 श्री रजनीश कुमार विवेचक

है0का0 रविन्द्र कुमार कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर **दिनांक - 27.08.2026**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने मु0अ0सं0 275/26 धारा-304(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर व लूटा हुआ 01 मोबाइल फोन तथा ₹1,000/- नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री प्रविन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम हजूराबाद गढ़ी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनसे ₹5,000 नकद एवं मोबाइल फोन (रियलमी C-2, मोबाइल फोन छीन लिया। । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 275/26 धारा-304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना मु0अ0सं0 275/26 धारा-304(2) बीएनएस में प्रकाश में आए उक्त दोनों अभियुक्त जीशान व जावेद थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्तर्गत सराय रोड पर केडवा के पास स्थित बंद पड़े ईंट भट्टे के पास खड़े होकर अपने किसी अन्य साथी का इंतजार कर रहे हैं तथा उनके पास अवैध असलाह भी मौजूद है। सूचना पर थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उद्देश्य से मौके पर पहुँचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से गाली-गलौज करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। तत्पश्चात आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्त जीशान व जावेद पैर में गोली लगने से घायल हो गए, घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग का सफल अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर, लूटा हुआ 01 मोबाइल फोन तथा ₹1,000/- नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उक्त अभियोग का सफल अनावरण करने वाली थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम के सराहनीय एवं साहसिक कार्य से प्रोत्साहित होकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा पूरी पुलिस टीम को ***₹10,000/-*** नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-जीशान पुत्र समून निवासी नियर पुराना शिव मंदिर, शोभापुर, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ।

2-जावेद पुत्र सलीम निवासी नियर पुराना शिव मंदिर, शोभापुर, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर,
- 01 मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर,
- 01 मोबाइल फोन तथा ₹1,000/- नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2-उ0नि0 आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3-है0का0 689 विपिन तेवतिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4-है0का0 546 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
5-है0का0 402 सुमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
6- का0 1124 अजीत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट दिनाँक-27.08.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 256/2026 धारा 137(2) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 256/2026 धारा 137(2) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना दोघट पुलिस द्वारा दिनांक 26-08-2026 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

छोटू उर्फ संजीत उर्फ संदीप पुत्र रमेश निवासी ग्राम सोन्टा थाना बाबरी जनपद शामली उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

2-का0 455 विजय कुमार थाना दोघट जनपद बागपत